न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **193/2025** दायर दिनाँक **30.05.2025**

वादी

1. तुलछाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी लोरोली खुर्द तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

प्रतिवादी

1. ओमप्रकाश पुत्र पनाराम
2. कुम्भाराम पुत्र पनाराम
3. कैलाश पुत्र पनाराम
4. निम्बाराम पुत्र पनाराम
5. हनुमानराम पुत्र पनाराम
6. जगदीश पुत्र नारायणराम
7. मुकेश कुमार पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण लोरोली खुर्द तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना –कुचामन
8. तहसीलदार छोटीखाटू

राजस्व–वाद बाबत्

घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री शरीफ शेरानी एडवोकेट वादी।

श्री युनुस सलीम एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6 की ओर से

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **23.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 140 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 142 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 335/139 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 336/141 रकबा 0.0050 खसरा संख्या 338/139 रकबा 0.0550 है. खसरा संख्या 340/139 रकबा 0.5700 है. सरहद लारोली पटवार हल्का लोरोली कलां एवं खसरा संख्या 159 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 160 रकबा 3.5100 है. वाके सरहद लोरोली खुर्द पटवार हल्का लोरोली कलां में आया हुआ है जो वादी की संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार व कब्जे काश्त में है। वादी का नाम जरिये नामान्तकरण के उक्त खसरा नम्बर की भूमि में भूलवश वादी का नाम नानूराम पुत्र नारायण गलत अंकित कर दिया गया है तथा वादी के सभी निर्वाचन परिचय–पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम तुलछाराम पुत्र नारायण राम दर्ज है। वादी का उक्त भूमि में गलत नाम नानूराम पुत्र नारायणराम होने के कारण अत्यधिक सुविधा व परेशानियों का समना करना पड रहा है। वादी के उपरोक्त खेत खसरा नम्बर की भूमि में अपना नाम नानुराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर तुलछा[illegible] नारायणराम दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहता है। इस हेतु यह वाद पेश कि[illegible] है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:– [illegible] 140 रकबा

सरहद लोरोली पटवार ह[illegible] लोरोली कलां [illegible] खस[illegible] संख्या 335/139 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 142 रकबा 0.0100 है. [illegible] 0.1100, खसरा नम्बर 336/141 रकबा 0.0050 खसरा संख्या 338/139 रकबा 0.0550 है. खसरा संख्या 340/139 रकबा 0.5700 है. एवं सरहद लोरोली खुर्द पटवार हल्का लोरोली कलां खसरा संख्या 159 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 160 रकबा 3.5100

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:08 IST
Reason: SelfAttested

है, कि भूमि में नानूराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र नारायणराम घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक भू.अ/2026/117 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6 की ओर से अधिवक्ता युनुस सलीम ने इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित। एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम लोरोली के खेत खसरा नम्बर 140, 142, 335/339, 336/141, 338/139, 340/139 एवं ग्राम लोरोली खुर्द के खेत खसरा संख्या 159, 160 में वादी का नाम नानूराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र नारायणराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 159, 160 वाके सरहद लोरोली खुर्द एवं 140, 142, 335/339, 336/141, 338/139, 340/139, वाके सरहद लोरोली में संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रेकर्ड है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतगी के नामान्तकरण 140/22.03.2006 सरहद लोरोली व नामान्तकरण संख्या 155 सरहद लोरोली खुर्द में वादी का नाम नानू पुत्र नारायण जाति जाट सा. देह अमल दरामद हुआ है जो आदिनांक तक रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में चला आ रहा है। वादी का सभी पहचान दस्तावेजों में तुलछाराम पुत्र नारायणराम दर्ज है जो राजस्व रेकर्ड से भिन्न है चूंकि राजस्व रेकर्ड में विरासत के नामा. से दर्ज हुआ था जिसको वादी अपने सभी दस्तावजों में अंकित नाम अनुसार राजस्व रेकर्ड करवाने है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम का गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद ग्राम लारोली पटवार हल्का लोरोली कलां के खेत खसरा नम्बर 140, 142, 335/339, 336/141, 338/139, 340/139 एवं ग्राम लोरोली खुर्द पटवार हल्का लोरोली कलां के खेत [illegible] 9, [illegible] ाम नानूराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र नारायण[illegible] [illegible] या जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 16:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(विकास [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]ाना

निर्णय आज दिनाँक 23.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना